P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper 6th, Paper Name- मुस्लिम विधि Unit -2nd

(Muslim Law)

1. इस कथन को समझाइए कि मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह कोई अनुष्ठान नहीं बल्कि एक दीवानी संविदा है बादल तथा पार्षद विवाह में अंतर बताओ तथा उनके विधि परिणामों का उल्लेख करो

पगम्बर साहब न अरब समाज को बहत सो करोतियां दर कों, तथा स्त्रो को सहमति विवाह क लिय आवश्यक कर दिया।

मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह (1) स्वतः पक्षों के बीच , और (2) उनमें से प्रत्येक और संमेल से उत्पन्न सन्तान के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के सृजन करने, स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाने१ सन्तान उत्पन्न करने और उसे वैध बनाने और समाज के हित में सामाजिक जीवन को नियमित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक संविदा है।

अत: 'विवाह' पारस्परिक उपभोग और सन्तान की उत्पत्ति तथा औरसीकरण के उद्देश्य से एक स्त्री और एक पुरुष के बीच किया जाने वाला एक स्थायी और अप्रतिबन्धित (तत्काल प्रभावी) व्यवहार संविदा है।

2. विवाह का उद्देश्य

"तिरमिजी" विवाह के पाँच उद्देश्यों का उल्लेख करता है

1. कामवासना का नियमन,

2. गृहस्थ जीवन का नियमन,

3. वंश की वृद्धि,

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

4. पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम, और

5. सदाचारी बच्चों का पालन।

'हेदाया' के अनुसार विवाह के उद्देश्य-(1) समागम, (2) संगति, और (3) समान हितेच्छा है।

पैगम्बर ने कहा- 'पुरुष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा , सम्पत्ति या उनके सौन्दर्य के लिये करते हैं , परन्तु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिये करना चाहिये।" (तिरमीज़ी)

3. विवाह की प्रकृति (Nature of Marriage)

मुस्लिम विवाह की प्रकृति मुस्लिम विवाह की प्रकृति के विषय में विभिन्न विचार हैं। कुछ विधिशास्त्रियों के अनुसार मुस्लिम विवाह पूर्णरूपेण एक सिविल संविदा है जबकि अन्य विधिशास्त्रियों ने इसे एक धार्मिक संस्कार की प्रकृति जैसा कहा है। मुस्लिम विवाह का समुचित आकलन करने के लिये यह आवश्यक है कि उसके विभिन्न अवधारणाओं की समीक्षा की जाये।

कुछ लेखकों और विधिशास्त्रियों ने मुस्लिम विवाह को केवल सिविल संविदा बताया है और उनके अनुसार यह संस्कार नहीं है। यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि संविदा के सभी आवश्यक लक्षण मुस्लिम विवाह में मिलते हैं। उदाहरण के लिये ____

1. विवाह में संविदा जैसा ही प्रस्ताव (इजाब) एक पक्ष द्वारा और दूसरे पक्ष पर स्वीकृत होना

आवश्यक है। इसके अलावा शादी कभी भी स्वतन्त्र सहमति के बिना नहीं हो सकती है और

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

ऐसी सहमति प्रपीड़न , कपट अथवा असम्यक् प्रभाव द्वारा नहीं प्राप्त होना चाहिये।

2. यदि कोई संविदा अवयस्क की ओर से उसका अभिभावक करता है तब अवयस्क को यह

अधिकार होता है कि वयस्क होने के बाद उसे निरस्त कर सकता है , ठीक उसी प्रकार मुस्लिम विधि के अनुसार वयस्क होने के बाद शादी निरस्त हो सकती है यदि

अल्पवयस्कता की अवधि में संरक्षक द्वारा की गयी है।

3. यदि मुस्लिम विवाह के पक्षकार विवाह संस्कार के पश्चात् ऐसा अनुबन्ध करते हैं जो

युक्तियुक्त और इस्लाम विधि की नीतियों के विरुद्ध न हो तब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा। इसी प्रकार की स्थिति संविदा में होती है।

4. व्यक्तिगत हितों के अनुकूल शादी से सम्बन्धित संविदा की शर्तों में विधिक सीमा के अन्तर्गत

परिवर्तन किया जा सकता है।

5. अन्य संविदा के समान शादी सम्बन्धी संविदा के उल्लंघन हेतु प्रावधान विहित हैं यद्यपि

- पवित्र कुरान और हदीस में इसकी आलोचना की गयी है। महत्वपूर्ण वाद अब्दुल कादिर बनाम सलीमा में न्यायाधीश महमूद और न्यायाधीश मित्तर ने सबरून्निशा के वाद में मुस्लिम विवाह को संविदात्मक दायित्व के रूप में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अभिनिर्धारित किया है और मुस्लिम संविदा को विक्रय संविदा के समान बताया है।

मुस्लिम विवाह की प्रकृति का वर्णन करते हुए न्यायाधीश महमूद ने कहा "मुसलमान लोगों में शादी एक संस्कार नहीं है अपितु पूर्णरूप से एक सिविल संविदा है यद्यपि सामान्य रूप में शादी सम्पन्न होते समय कुरान का सुपठन किया जाता है फिर भी मुस्लिम विधि में इस विशिष्ट अवसर के लिये विशिष्ट सेवा सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है। यह परिलक्षित होता है कि विभिन्न दशाओं में जिसके अन्तर्गत शादी सम्पन्न होती है अथवा शादी के संविदा की उपधारणा की जाती है वह एक सिविल संविदा है। सिविल संविदा होने के बावजूद , लिखित रूप से ही संविदा हो , यह आवश्यक नहीं है। एक पक्षकार द्वारा इस सम्बन्ध में घोषणा अथवा कथन और दूसरे पक्षकार द्वारा सहमति अथवा स्वीकृति होनी चाहिये अथवा उसके प्राकृतिक या विधिक अभिभावक द्वारा सहमति दी जानी चाहिये। यह सहमति सक्षम और साक्षीगणों के सम्मुख व्यक्त होनी चाहिये। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार निश्चित प्रतिबन्ध भी आरोपित किये जा सकते हैं।

एक दूसरा विचार यह है कि विवाह पूर्ण रूप से एक सिविल संविदा नहीं है अपितु एक धार्मिक संस्कार भी है। यद्यपि धार्मिक प्रकृति को केवल एक प्राचीन विचार कहा जा सकता है लेकिन यह विचार न्यायालयों द्वारा भी पुष्ट किया गया है।

अनीस बेगम बनाम मुहम्मद इस्तफा एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें मुख्य न्यायाधीश शाह सुलेमान ने एक अत्यन्त सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

यह निर्धारित किया है कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा और एक धार्मिक संस्कार दोनों है।

धार्मिक पहलू पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह एक इबादत (पूजा सम्बन्धी कार्य) है। पैगम्बर साहब ने स्वयं इस सम्बन्ध में कहा है कि विवाह शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम मुस्लिम के लिये आवश्यक है। .

पैगम्बर साहब कहते हैं कि

ऐ लोगों (युवकों) तुममें से जो इस काबिल है उसे शादी करनी चाहिये क्योंकि यह तुम्हारे अनैतिक देखने पर प्रतिबन्ध लगाती है। और जो लोग इस योग्य नहीं हैं उन्हें ऐसा ही रहने दो।

इसी सन्दर्भ में एक और हदीस है

वह जो शादी करते हैं अपना आधा धर्म पूरा कर लेते हैं और बचा हुआ आधा धर्म अल्लाह से डर कर सदाचार तथा पवित्र जीवन व्यतीत करके पूरा कर सकते हैं।

"इस्लाम में संन्यास नहीं है।"

तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अल्लाह ने स्वयं मदद करने का वायदा किया है। पहला वह जो अपनी स्वतंत्रता स्वयं खरीदता है, दूसरा वह जो विवाह करता है और तीसरा वह जो अल्लाह के लिये लड़ता है। एक बार मोहम्मद साहब ने कहा कि विवाह जिहाद के बराबर है। विवाह न करना पाप है। यह मेरी

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सुन्नत है। और यह उन सभी लोगों के लिये आवश्यक है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं।

एक जगह मोहम्मद साहब कहते हैं कि "मैं रोजा रखता हूँ और तोड़ता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं सोता हूँ और मैं विवाहित हूँ। और तुममें से वे लोग जो मेरी सुन्नत को नहीं मानेंगे वे मुझमें से नहीं हैं।"

विवाह एक व्यक्ति के नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाता है। विवाह मेरा आज्ञापत्र है। तुममें से जो लोग अविवाहित हैं , वह विश्वास के योग्य नहीं हैं।

महमूद अली के अनुसार शादी की संविदा की शास्ति यह होती है कि पक्षकारों की स्वीकृति से पहले प्रवचन (फतवा) उन्हें दिया जाता है। उनके विचार से 'खुतबाह' अथवा प्रवचन शादी के प्रकाशन में सहायता देता है इसका दुहरा उद्देश्य है प्रथम यह कि शादी की संविदा को अनुशास्ति प्रदान करता है और दूसरा यह कि पक्षकारों को उनके दायित्व से अवगत करा देता है । सच्चे मुस्लिम के हृदय में इस कारण शादी को पवित्र बन्धन समझने की भावना विकसित होती है इसका उपहास नहीं बनायेगा।

यदि विवाह सिविल संविदा के अलावा और कुछ नहीं तब उपर्युक्त परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि :

जो कोई भी सिविल संविदा करता है वह अपना आधा धर्म पूरा कर लेता है , सर्वशक्तिमान स्वयं उसकी सहायता करते हैं जो सिविल संविदा करता है , सिविल संविदा जेहाद के समान होती है , प्रत्येक शारीरिक रूप से स्वस्थ मुस्लिम के लिये सिविल संविदा करना आवश्यक होता है और यह सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से तर्कहीन (बेतुकी) हैं।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

4. मुस्लिम विवाह की अन्य विवाहों से तुलना

_____ (क) मुस्लिम विवाह और हिन्दू विवाह

चूंकि मुस्लिम विवाह सारतः एक संविदा है, इसलिये वह हिन्दू विवाह से भिन्न होता है। मूल हिन्दू विधि में विवाह एक संस्कार माना जाता था , जिसे बड़ा धार्मिक महत्व दिया गया है। मूल हिन्दू विधि के अनुसार विवाह मांस का मांस से और अस्थि का अस्थि से संयोग माना जाता है , और स्त्री पति की अर्धांगिनी समझी जाती है। हिन्दू विवाह अधिनियम , 1955 की धारा 7 यह उपबन्धित करती है कि विवाह यदि सप्तपदी की प्रथा के अन्तर्गत होता है तो विवाह तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि पवित्र अग्नि के समक्ष सप्तपदी (seven steps) लगाने की औपचारिकता न पूरी हो जाय। इसके विपरीत विधिक दृष्टि से , मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं है , बल्कि एक व्यावहारिक संविदा है , यद्यपि सामान्यतया 'कुरान' की कुछ आयतें पढ़कर यह रस्म अदा की जाती है। मुस्लिम विवाह संविदा माना जाता है जो प्रस्ताव और स्वीकृति मात्र से किया और तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार

1. मुस्लिम विवाह एक व्यावहारिक संविदा है जबकि प्राचीन हिन्दू विधि में विवाह एक संस्कार है। आधुनिक हिन्दू विधि (हिन्दू विवाह अधिनियम , 1955) के अन्तर्गत विवाह का स्वरूप न तो संस्कार का रह गया है और न यह संविदा का ही स्वरूप प्राप्त कर सका है।

2. हिन्दू विवाह और मुस्लिम विवाह में एक अन्तर यह है कि हिन्दू विवाह में प्रतिफल (मेहर) जैसी कोई चीज नहीं होती है , जबकि मुस्लिम विधि के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

अन्तर्गत पति द्वारा पत्नी को मेहर देना विवाह की एक आवश्यक शर्त होती है।

प्रस्ताव और स्वीकृति- अन्य संविदाओं के समान विवाह भी प्रस्ताव (इजब) एवं स्वीकृति (कबूल) से पूर्ण होता है। यह आवश्यक है कि विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से विवाह करने का प्रस्ताव करे। जब दूसरा पक्षकार प्रस्ताव की स्वीकृति दे देता है तभी विवाह पूर्ण होता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि "व्यावहारिक संस्था के रूप में विवाह की वही स्थिति है जो किसी अन्य संविदा की।" (अमीर अली)।

(ii) एक बैठक (One Meeting,-संव्यवहार का एक बैठक में पूरा हो जाना जरूरी है। उदाहरणत: "यदि एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव किये जाने के बाद दूसरा पक्षकार कमरे से बाहर चला जाय या अपनी स्वीकृति देने से पहले किसी दूसरे काम में लग जाय तो बाद में दी गई स्वीकृति से संविदा पूरी नहीं होगी।"

(iii) साक्षी (Witnesses : गवाह)-सुन्नी विधि के अन्तर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति दो ऐसे पुरुष या एक पुरुष और दो स्त्री साक्षियों की उपस्थिति में होना जरूरी है जो स्वस्थचित्त और वयस्क मुसलमान हों। साक्षियों की अनुपस्थिति विवाह को शन्य नहीं बल्कि अनियमित बना देती है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(iv) स्वतन्त्र इच्छा और सहमति (Conment) किसी विवाह के पक्षकारों का अपनी स्वतन्त्र इच्छा और सहमति से विवाह करना जरूरी है। उनकी सहमति काय, अनुचित दबाव या कपट (Fraud) से मुक्त होना जरूरी है। ऐसे लड़के या लड़की के मामले में, जिससे वयस्कता न प्राप्त की हो, विवाह वैध न होगा जब तक कि विधिक संरक्षक ने उसके लिये अनमति दे दी हो। यदि विवाह के पक्षकारस्वस्थचित्त और वयस्क हैं तो ऐसी दशा में स्वयं उनके द्वारा सहमतिका दिया जाना आवश्यक है।

विवाह में अभिभावकता (जबर)-किसी अवयस्क के विवाह की संविदा करने का अधिकार क्रमश: निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राप्त होता है

1. पिता,
2. पितामह, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो,
3. सगा भाई,
4. सहोदर भाई, ...
5. सगे भाई का पुत्र,
6. सहोदर भाई का पुत्र,
7. सगा चाचा,
8. सहोदर चाचा,
9. सगे चाचा का पुत्र,
10. सहोदर चाचा का पुत्र। इन पुरुष संरक्षकों के पश्चात्निम्न स्त्री और बन्धु नातेदार संरक्षक में आते हैं

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

1. माता,
2. दादी,
3. नानी,
4. सगी बहिन,
5. सहोदर बहिन,
6. एकोदर रक्त की बहिन,
7. एकोदर रक्त का भाई,
8. एकोदर रक्त के भाई के वंशज,
9. एकोदर रक्त की बहिन के वंशज,
10. बुआ,
11. मामा,
12. मौसी और
13. चाचा की पुत्री और उसके वंशज।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न-2 मुस्लिम विधि में मेहर क्या होती है मैहर के विभिन्न प्रकारों को समझाइए

परिभाषा

विल्सन के मतानुसार-"मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर (बदला) है।" 'डावर' (Dower) शब्द अरबी के 'मेहर' शब्द का आंग्ल-मुस्लिम प्राविधिक पर्यायवाची है। अमीर अली के मत से "मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिये प्रतिकर है। " मुल्ला के मतानुसार- "मेहर एक ऐसी धनराशि या सम्पत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिये पत्नी हकदार है।"

तैयबजी के अनुसार-"मेहर वह धनराशि है जो विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी को पक्षकारों के करार या कानून के अनुसार देय होता है। वह या तो तात्कालिक (Mu'ajjal : मुअज्जल) होता है या आस्थगित देय (Mu'vajjal : मुवज्जल)।"

मेहर की प्रकृति

मेहर (जैसा कि इसकी प्रकति वर्तमान समय में है) पैगम्बरमोहम्मद साहब द्वारा प्रारम्भ किया गया और प्रत्येक विवाह के लिये अनिवार्य बना दिया गया। मुस्लिम विधि का मेहर रोमन विधि के मेहर से कछ सादृश्य रखता है तथापि महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि रोमन विधि के अन्तर्गत वह स्वेच्छा पर निर्भर था और मुस्लिम विधि के अन्तर्गत वह पूर्णतया अनिवार्य है।

मेहर की प्रकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद ध्यान देने योग्य है

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

"विक्रय की संविदा से तुलना करके मेहर को दाम्पत्य समागम के लिये प्रतिकर समझा जा सकता है। जब तक मेहर का भुगतान न किया जाय तब तक पति का प्रतिरोध करने का पत्नी का अधिकार , मूल्य का बिना पूरा या आंशिक भुगतान पाये हुए विक्रेता के कब्जे में पड़े हुए माल पर विक्रेता के धारणाधिकार के सदृश है और उसका पति को समर्पण करना क्रेता को माल सौंपने के तुल्य है।"

मेहर का महत्व

फतवा-इ-काजी खाँ के अनुसार-"मेहर विवाह का एक ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि विवाह के समय संविदा में उसका उल्लेख न हो , तो भी विधि स्वतः संविदा के आधार पर उसकी पूर्वधारणा कर लेगी। " यदि विवाह के पहले स्त्री अपने मेहर के अधिकार के त्याग का करार करे या मेहर के ही बिना विवाह करने के लिये तैयार हो, तो ऐसा करार या सहमति अमान्य होगी।

मेहर का इतना महत्व इस कारण है कि वह पति द्वारा तलाक देने के अधिकार के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध पत्नी को सुरक्षा प्रदान करता है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पति अपनी इच्छा से पत्नी को किसी भी समय तलाक दे सकता है, इसलिये मेहर का उद्देश्य पति की इस शक्ति के मनमाने प्रयोग पर रोक उत्पन्न करना है। वह पति के तलाक देने की निरंकुश शक्ति से पत्नी की केवल रक्षा ही नहीं करता, बल्कि उसे एक से अधिक पत्नी रखने के अमिताचार (extravagance) से भी रोकता है।

मेहर का वर्गीकरण (Classification of Dower) राशि के आधार पर मेहर दो वर्गों में बांटा जा सकता है

(i) निश्चित मेहर (मेहर-इ-मुसम्मा) और

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(ii) उचित (रिवाजी) मेहर (मेहर-इ-मिस्ल)।

भुगतान के समय के आधार पर निश्चित मेहर को पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता

है

(1) मुअज्जल (तात्कालिक) मेहर और

(2) मुवज्जल (आस्थगित) मेहर।

निश्चित मेहर

यदि विवाह-संविदा में मेहर की धनराशि (या सम्पत्ति) का उल्लेख हो तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर (Specified Dower) होता है। यदि विवाह के पक्षकार वयस्क और स्वस्थ्यचित्त के हों तो वे मेहर की धनराशि विवाह के समय स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी अवयस्क बालक के विवाह की संविदा उसके संरक्षक द्वारा की जाती है , तो ऐसा संरक्षक विवाह के समय मेहर की धनराशि निर्धारित कर सकता है

और ऐसे संरक्षक द्वारा निर्धारित मेहर की धनराशि बालक के ऊपर बाध्यकारी होगी। पति मेहर के रूप में पत्नी के लिये कितनी भी धनराशि की व्यवस्था कर सकता है , चाहे वह उसकी शक्ति से परे हो या उसके भुगतान के बाद उत्तराधिकारियों के लिये कुछ न बचे। परन्तु हनफी-विधि में वह किसी स्थिति में दस दिरहम (तीन और चार रुपये के बीच) से कम और मलिकी विधि के

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अनुसार तीन दिरहम से कम नियत नहीं कर सकता। ऐसे मुसलमान पतियों के लिये, जो बहुत गरीब हों, पैगम्बरमोहम्मद साहब का यह निर्देश

है कि वे मेहर के एवज में अपनी पत्नियों को कुरान की शिक्षा दें। शिया विधि में मेहर की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। निश्चित मेहर दो प्रकार का होता है-तात्कालिक (मुअज्जल) और आस्थगित (मुवज्जल)।

मुअज्जल मेहर (Prompt Dower)

यह विवाह के बाद मांग पर तत्काल देय होता है। अमीर अली के मत में पत्नी मेहर के मुअज्जल भाग के भुगतान के समय तक पति के दाम्पत्य अधिवास में प्रवेश करने से इन्कार कर सकती है। मुअज्जल मेहर के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद ध्यान देने योग्य हैं

(1) विवाह हो जाने पर मुअज्जल मेहर तत्काल देय होता है और मांग पर तत्काल अदायगी जरूरी

है। वह विवाह के पहले या बाद किसी भी समय वसूल किया जा सकता है। यदि विवाह की पूर्णावस्था नहीं प्राप्त हुई है और मुअज्जल मेहर की अदायगी न होने के कारण पत्नी पति के साथ नहीं रहती है तो पति के द्वारा लाया गया दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का वाद खारिज कर दिया जायेगा और मुअज्जल मेहर का पत्नी को दिया जाना, ऐसे वाद में पूर्ण

प्रतिवाद माना जायेगा।

(2) मुअज्जल मेहर विवाह की पूर्णावस्था के बाद मुवजल नहीं हो जाता और पत्नी को विवाह

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

की पूर्णावस्था प्राप्त कर लेने पर भी मुअज्जल मेहर की वसूली का वाद दायर करने का पूरा अधिकार है। विवाह की पूर्णावस्था प्राप्त कर लेने पर अन्तर केवल यह हो जाता है कि यदि मुअज्जल मेहर का भुगतान कर दिया गया है तो पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनस्थापन के लिये वाद में पत्नी मेहर की अप्राप्ति के आधार पर उसका प्रतिवाद नहीं कर सकती। यदि विवाह की पूर्णावस्था प्राप्त हो गयी है तो न्यायालय पति द्वारा लाये गये दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के वाद में इस शर्त पर डिक्री प्रदान कर सकता है कि पति पत्नी को मुअज्जल मेहर की धनराशि अदा करे।

मुवज्जल मेहर

(Deferred Dower) यह मृत्यु या विवाह-विच्छेद द्वारा विवाह के समाप्त हो जाने पर अथवा करार द्वारा निर्धारित किसी निश्चित घटना के घटित होने पर देय होता है। 2 अमीर अली के मत में विवाह संविदा को पूर्ण रूप से पालन कराने के लिये पति को विवश करने के उद्देश्य से भारत में मुवज्जल मेहर की राशि सामान्यतया अत्यधिक होती है।

मुवज्जल मेहर के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं

(1) मुवज्जल मेहर मृत्यु या विवाह-विच्छेद द्वारा विवाह के विघटन होने पर देय होता है। इसलिये पत्नी मुवज्जल मेहर की मांग विवाह के विघटन के पूर्व सामान्यतया नहीं कर सकती है। परन्तु यदि विवाह के विघटन के पहले उसके भुगतान किये जाने का कोई करार हो तो ऐसा करार मान्य और बन्धनकारी होता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(2) यद्यपि विवाह के विघटन अथवा निश्चित घटना के घटित होने के पहले पत्नी मुवज्जल मेहर की मांग नहीं कर सकती, परन्तु पति इसके पूर्व ही ऐसा मेहर उसे अदा कर सकता है।

(3) मुवज्जल मेहर में पत्नी का हित निहित (Vested) होता है। वह घटनापेक्ष (Contingent) नहीं होता। किसी घटना के होने से वह विस्थापित नहीं किया जा सकता और उसकी मृत्यु से भी वह टल नहीं सकता और ऐसी स्थिति में उसके मर जाने पर भी उसके उत्तराधिकारी उसका दावा कर सकते हैं।

रिवाजी (उचित) मेहर (मेहर-इ-मिस्ल)

यदि मेहर की राशि निश्चित न हो तो पत्नी उचित मेहर (मेहर-इ-मिस्ल) की अधिकारिणी होती है, चाहे विवाह की संविदा इस शर्त पर ही की गई हो कि पत्नी किसी मेहर का दावा नहीं करेगी। हमीराबीबी बनाम जुवैदाबीबी के वाद में प्रिवी काउन्सिल ने यह अवलोकन किया था कि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मेहर विवाह की हैसियत की आवश्यक प्रसंगति (incident) है और यह इस सीमा तक है कि यदि विवाह के समय उसका उल्लेख नहीं किया गया है तो भी उसका निर्णय निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। उचित मेहर का निर्धारण पत्नी के पिता के खानदान की अन्य स्त्रियों , यथा- पिता की बहनों के लिये निश्चित मेहर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उचित मेहर पत्नी के समकक्षों (equals) का मेहर है। स्त्री के लिये कौन सी धनराशि उपयुक्त होगी, यह निश्चय करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।

शिया विधि-यही नियम शिया लोगों में भी प्रचलित है , जिसमें मेहर की अधिकतम सीमा 500 दिरहम रख दी गई है। सुन्नी विधि में मेहर की अधिकतम राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

मेहर में वृद्धि या कमी-पति विवाह के पश्चात् किसी भी समय मेहर में वृद्धि कर सकता है। उसी प्रकार विवाह के पश्चात् पत्नी अपनी स्वतन्त्र सहमति से मेहर की पूरी धनराशि को छोड़ सकती है अथवा

अंशतः कम कर सकती है। एक मुसलमान पत्नी , जिसने यौवनावस्था (age of puberty) प्राप्त कर लिया है, मेहर में पूर्ण या आंशिक छूट देने के लिये सक्षम है, भले ही उसने भारतीय वयस्कता अधिनियम के अन्तर्गत वयस्कता की आयु न प्राप्त की हो। पत्नी के द्वारा मेहर में दी गयी इस छूट को हिबा-ए-मेहर कहते हैं।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.